दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

<u>निष्पादन याचिका 109/2019</u>

निर्णय की तिथि : 05.07.2023

<u>निम्न मामले में:</u>

आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ..... डिक्रीदार

द्वारा:

बनाम

श्री अरुण राठी .....निर्णीत ऋणी

द्वारा: श्री तन्मय मेहता और श्री सुभाष चावला, निर्णीत ऋणी हेतु अधिवक्तागण
सुश्री नंदिता राव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार हेतु अति.स्था.अधि. (आपराधिक)
श्री वी.के. यादव, अधीक्षक, केंद्रीय कारागार सं. 7, तिहाड़ सह श्री अभिजीत शंकर, विधि अधिकारी, तिहाड़

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार ओहरी

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. मनोज कुमार ओहरी (मौखिक)</u>

<u>निष्पादन आवेदन (मू.वा.) 747/2023 (निर्णीत ऋणी द्वारा आदेश XXI के अंतर्गत)</u>

1. सि.प्र.सं. के आदेश 21 के साथ पठित सि.प्र.सं. की धारा 151 के अंतर्गत दायर वर्तमान आवेदन के माध्यम से, आवेदक/अवमानकर्ता - *अरुण राठी* ने प्रार्थना की है कि उसके मामले को दिल्ली कारागार नियम, 2018 के अनुसार परिहार देने पर विचार किया जाए।

2. संक्षेप में, इस न्यायालय ने दिनांक 24.05.2019 के आदेश के द्वारा, मामले के तथ्यों और विशेष रूप से आवेदक के आचरण को ध्यान में रखते हुए, उसे आदेशों के साथ-साथ विद्वान मध्यस्थ के समक्ष दिए गए वचन का उल्लंघन करने के लिए न्यायालय के अवमान का दोषी पाया। न्यायालय ने आवेदक को डिक्रीदार को 5.05 करोड़ रुपये की राशि अर्थात् खोई हुई मशीनरी और उपस्कर का मूल्य जमा करने का निर्देश दिया। आगे यह निर्दिष्ट किया गया कि यदि उक्त राशि का भुगतान छह सप्ताह के भीतर नहीं किया गया, तो आवेदक तीन महीने की अवधि के लिए सिविल कारावास भुगतने का दायी होगा।

उक्त आदेश को अव.आ.(सि.)15/2019 के माध्यम से खण्ड पीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी। चुनौती को दिनांक 26.11.2019 के आदेश के

माध्यम से खारिज कर दिया गया, जिसके विरुद्ध 2020 की एक वि.अनु.या.(आप.) सं. 665 को प्रस्तुत किया गया, और इसे भी खारिज कर दिया गया, यद्यपि, राशि जमा करने का समय दिनांक 11.11.2022 और दिनांक 15.12.2022 के आदेश के माध्यम से बढ़ा दिया गया था। इसके बाद, खण्ड पीठ के समक्ष दायर एक पुनर्विलोकन याचिका सं. 12/2023 को भी दिनांक 13.01.2023 को खारिज कर दिया गया।

न्यायालय ने दिनांक 29.03.2023 को यह देखते हुए कि आवेदक 5.05 करोड़ रुपये की राशि जमा करने में विफल रहा है, उसे अभ्यर्पण करने और दिनांक 25.05.2019 के आदेश के अनुसार तीन महीने के सिविल कारावास की सजा भुगतने का निर्देश दिया। कथित तौर पर, आवेदक ने दिनांक 10.04.2023 को अभ्यर्पण कर दिया और तब से वह सिविल कारागार में है।

3. उल्लेखनीय है कि वर्तमान आवेदन के लंबित रहने के दौरान, आवेदक द्वारा जेल प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया एक अभ्यावेदन दिनांक 01.07.2023 को अस्वीकार कर दिया गया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री तन्मय मेहता ने प्रतिविरोध किया कि आवेदक को अवमान का दोषी पाया गया है और सिविल कारावास से दंडित किया गया है, इसलिए वह दंड का परिहार पाने का हकदार है। उन्होनें दिनांक 01.07.2023 के पत्राचार के मूल आधार को चुनौती दी जो जेल प्राधिकारियों द्वारा शक्ति का एक अवैध और मनमाना प्रयोग है।

5. दूसरी ओर, सुश्री नंदिता राव, अति.स्था.अधि.(आपराधिक) ने आवेदक की प्रस्तुतियों पर विवाद किया है। उन्होनें प्रतिविरोध किया कि आवेदक एक सिविल कैदी होने के नाते किसी भी परिहार का हकदार नहीं है क्योंकि आवेदक को दी गई सजा कोई वास्तविक सजा नहीं है। उन्होंने आगे प्रतिविरोध किया कि नियम अध्याय 33 में सिविल कारागार के शीर्षक के अंतर्गत किसी भी परिहार का प्रावधान नहीं करते हैं।

6. यह ध्यान रखना उचित है कि दिनांक 24.05.2019 का आदेश न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 (इसके बाद, 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 12 के अंतर्गत दायर एक याचिका में पारित किया गया था। सिविल अवमान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की पराकाष्ठा न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने और अवज्ञा हेतु अवमानकर्ता को दंडित करना है। यह कार्यवाही सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निष्पादन कार्यवाही के विपरीत है, क्योंकि अवमान कार्यवाही में न्यायालय को अनिवार्य रूप से इसे संतुष्ट करना और निष्कर्ष अभिलिखित करना अपेक्षित है कि अवज्ञा सुविचारित और साशय की गई थी।

अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा 1 में प्रावधान है कि न्यायालय के अवमान हेतु साधारण कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसे छः महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो दो हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। उप-धारा 3 जो एक सर्वोपरि खंड से

प्रारंभ होती है, यह प्रावधान करती है कि जहां कोई व्यक्ति सिविल अवमान का दोषी पाया जाता है और यदि न्यायालय यह समझता है कि जुर्माना न्याय के उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगा और कारावास की सजा आवश्यक है, तो साधारण कारावास की सजा देने के बजाय, निर्देश दिया जाता है कि वह छः महीने से अनधिक अवधि के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध रहेगा। अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही न केवल अर्ध-आपराधिक प्रकृति की है, परंतु पारित आदेशों को आपराधिक मामलों में पारित आदेश के रूप में भी माना जाएगा। [संदर्भ: आंद्रे पॉल टेरेंस एम्बर्ड बनाम त्रिनिदाद और टोबैगो के अटॉर्नी-जनरल, **एआईआर 1936 पीसी 141** के रूप में अभिलिखित; सहदेव बनाम यूपी राज्य, (**2010) 3 एससीसी 705** के रूप में अभिलिखित।]

7. इस स्तर पर, यह न्यायालय वर्तमान मामले में शामिल मुद्दे की प्रशंसा करने हेतु अन्य प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना लाभदायक समझता है।

8. कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 3 (2) (3) और (4) में "आपराधिक कैदी", "दोषसिद्ध आपराधिक कैदी" और "सिविल कैदी" अभिव्यक्तियों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

(2) "आपराधिक कैदी" का अर्थ किसी भी कैदी से है जो आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय या प्राधिकरण के रिट, वारंट या आदेश के अंतर्गत या सेना न्यायालय के आदेश के अंतर्गत अभिरक्षा में रखने हेतु सम्यक् रूप से प्रतिबद्ध है।

(3) "दोषसिद्ध आपराधिक कैदी" का अर्थ किसी न्यायालय या सेना न्यायालय के दंडादेश के अंतर्गत किसी भी आपराधिक कैदी से है, और इसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1882 (1882 का 10) के अध्याय VIII के प्रावधानों या कारागार अधिनियम, 1871 के अंतर्गत कारागार में निरुद्ध व्यक्ति शामिल है।

(4) “सिविल कैदी” का अर्थ है कोई भी कैदी जो आपराधिक कैदी नहीं है।

कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 3 की उप-धारा 5 में आगे प्रावधान है कि "परिहार प्रणाली" का अर्थ है जेल में कैदियों को अंक देने और इसके परिणामस्वरूप उनकी सजा को कम करने को विनियमित करने वाले तत्समय लागू नियम।

9. दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 (2002 का दिल्ली अधिनियम सं. 2) "सिविल कैदी", "दोषसिद्ध आपराधिक कैदी" और "आपराधिक कैदी" की परिभाषा भी प्रदान करता है जो कारागार अधिनियम, 1984 के अंतर्गत परिभाषा की समविषयक है। दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 की धारा 71 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली कारागार नियम, 2018 (इसके बाद, 'नियम' के रूप में संदर्भित) की विरचना की। वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक नियम नीचे दिए गए हैं:-

“अध्याय-XVIII

परिहार

1169. भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 और संहिता की धारा 432 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसके बाद आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाले कैदी पर दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत परिहार अर्जित किया जा सकता है। यद्यपि, परिहार एक कैदी के लिए एक विशेषाधिकार है जिसका एक अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।

xxx

1172. इस अध्याय के संदर्भ में:

I. 'कैदी' का अर्थ है एक दोषसिद्ध और/या शांति बनाए रखने या अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा प्रदान करने में चूक के कारण जेल में बंद व्यक्ति शामिल है और इसमें सेना न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध व्यक्ति भी शामिल हैं।

II. 'दंडादेश' का अर्थ अपील या पुनरीक्षण या अन्यथा पर अंतिम रूप से तय की गई सजा है, और इसमें एक से अधिक सजा संकलित है और शांति या अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के लिए सुरक्षा प्रदान करने में चूक पर कारावास का आदेश शामिल है।

XXX

*1175. योग्यता: निम्नलिखित प्रकार के **दोषसिद्ध कैदी** सामान्य परिहार के लिए पात्र होंगे:*

I. दो महीने या उससे अधिक के मुख्य दंडादेश वाले कैदी,

II. कैदी, जिन्हें दो महीने या उससे अधिक के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है, जो काम करने के लिए स्वेच्छा से आते हैं,

III. कारागार रखरखाव सेवाओं में नियोजित कैदियों को रविवार और छुट्टियों के दिन काम करना पड़ता है, जैसे कि झाड़ू लगाना, खाना बनाना आदि, भले ही उनकी सजा की अवधि और प्रकृति कुछ भी, अर्थात् साधारण या सश्रम कारावास हो।

IV. जुर्माने के बदले कारावास की सजा काट रहे कैदियों को तुरंत तीन महीने से कम की वास्तविक सजा नहीं होगी।

ध्यान दें: सभी पात्र कैदियों को काम उपलब्ध कराना कारागार प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। यदि किसी भी कारण से जेल प्रशासन ऐसा करने में विफल रहता है, तो जो कैदी काम के लिए परिहार के पात्र हैं, उन्हें कारागार महानिरीक्षक के आदेश के अंतर्गत उनकी सामान्य पात्रता के अनुसार परिहार दिया जाना चाहिए।

1176. गैर-योग्यता: निम्नलिखित प्रकार के कैदी सामान्य परिहार के लिए पात्र नहीं होंगे:

I. दो महीने से कम के मुख्य दंडादेश वाले कैदी,

II. जिन कैदियों को केवल जुर्माने के भुगतान में चूक की सजा सुनाई गई हो,

III. जिन कैदियों की सजा घटाकर दो महीने से कम कर दी गई है (ऐसे मामलों में पहले से अर्जित परिहार, यदि कोई हो, समपहृत कर ली जानी चाहिए),

IV. ऐसे कैदी, जिन्हें भा.दं.सं. की धारा 147/148/152/224/302/304/304ए/306/307/308/323/324/325/326/332/333/352/353/376 या 377 के अंतर्गत कारागार में प्रवेश के बाद किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है या वार्डर या अन्य अधिकारी पर जेल में प्रवेश के बाद किए गए हमले या किसी अन्य विधि के अंतर्गत उस विधि के अंतर्गत पैरोल/फर्लो की रियायत का दुरुपयोग करने के लिए दोषी ठहराया गया हो।

V. विहित कारावास अपराधों को करने के लिए सजा के रूप में परिहार से वर्जित कैदी,

VI. सरकार या कारागार महानिरीक्षक द्वारा या किसी विधि या नियम के अंतर्गत परिहार से विशेष रूप से वर्जित कैदी;

VII. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, (एनडीपीएस) मामलों में सजा काट रहे कैदी, बशर्ते उन्हें 29 मई, 1989 के बाद दोषी ठहराया गया हो;

VIII. उन अवधियों के दौरान जिन्हें सजा का हिस्सा नहीं माना जाता है (जमानत पलायन और अन्य अवधियों के दौरान अवधि, जिन्हें अवधि से बाहर माना जाता है और उस ओर से जारी सरकार के विशिष्ट आदेशों के अंतर्गत सजा का हिस्सा नहीं गिना जाता है)।

(ज़ोर दिया गया)

10. वर्तमान मामले में, न्यायालय ने दिनांक 24.05.2019 के आदेश के माध्यम से निर्दिष्ट किया कि आवेदक के 5.05 करोड़ रुपये की राशि जमा

करने में विफल रहने पर, उसे तीन महीने के लिए सिविल कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह स्पष्ट है कि उपरोक्त आदेश पारित करते समय, न्यायालय ने अधिनियम की धारा 12 (3) के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग किया था और आवेदक का कारावास तीन महीने के लिए सिविल जेल में निरोध के अलावा कुछ नहीं है।

11. व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान की पोषित वस्तुओं में से एक है और इससे वंचित करना केवल विधि के अनुसार और उसके प्रावधान के अनुरूप हो सकता है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में उपबंधित है। यह सुस्थापित है कि विधि द्वारा स्थापित कोई प्रक्रिया मनमानी, अयुक्तियुक्त या अनुचित नहीं हो सकती।

12. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, उपरोक्त नियमों के पठन से पता चलता है कि नियम 1175 में परिहार की पात्रता प्रदान करते समय, प्रयुक्त अभिव्यक्ति "दोषसिद्ध कैदी" है। यह अभिव्यक्ति समावेशी है और यह एक दोषसिद्ध "सिविल कैदी" और "आपराधिक कैदी" के बीच अंतर नहीं करती है। यद्यपि, सिविल कैदियों पर लागू नियमों के अध्याय 33 में, परिहार हेतु कोई अलग प्रावधान नहीं है, तथापि, इसका अर्थ यह नहीं होगा कि नियमों का नियम 1175 आवेदक पर लागू नहीं होता है। साथ ही, नियम 1176 में सिविल कैदियों का कोई विशेष अपवर्जन भी नहीं है। अतः इस न्यायालय का मानना है कि उपरोक्त परिभाषा और नियम दोनों प्रकार के कैदियों को शामिल करते हैं।

इसके अलावा, यह प्रतिविरोध भी उतना ही भ्रामक है कि आवेदक को कोई मुख्य दंडादेश नहीं दिया गया है, क्योंकि आवेदक को दोषी ठहराया गया है और तीन महीने के लिए सिविल कारागार में निरोध की मुख्य सजा से दंडित किया गया है और इस प्रकार, वह नियम 1175(1) के संदर्भ में परिहार का पात्र है।

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आवेदन को अनुज्ञात किया जाता है और कारागार अधीक्षक को लागू नियमों के अनुसार आवेदक/अवमानकर्ता को परिहार का लाभ देने का निर्देश दिया जाता है।

14. रजिस्ट्री इस आदेश की एक प्रति तुरंत सूचना और तत्काल अनुपालन हेतु कारागार अधीक्षक कार्यालय, सेंट्रल जेल नं.7, तिहाड़, नई दिल्ली को भेजेगी।

15. इस आदेश की एक प्रति और दस्ती भी दोनों पक्षकारगण के अधिवक्तागण को दी जाए।

16. आवेदन का निपटान उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

(मनोज कुमार ओहरी)
न्यायाधीश

5 जुलाई, 2023/एनए/वी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*